कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक/ 4598 /जीडीसी/मेंटे./2024 रायपुर, दिनांक 18 11 24

कोटेशन सूचना
Quotation Notice

विषयः— निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कडम फर्नीचरों स्ट्रेचर, रद्दी कागजात, पुराने टायर, पुराने बैटरी, सर्वर रूम यूपीएस, एसी यूनिट इत्यादि का विक्रय हेतु दर प्रस्तुत करने बाबत्।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय भवन में पूर्व में संचालित जीव्हीके 108 ब्लाक से निकले निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कंडम फर्नीचर, स्ट्रेचर, रद्दी कागजात, लोहे के फ्रेम, पुराने टायर, पुराने बैटरी, सर्वर रूम यूपीएस, एसी यूनिट, पार्टीशन केबिन प्लाई एवं अन्य सामाग्रीयों का विक्रय कर निस्तारण किया जाना है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

क्र	विवरण	विस्तृत स्पेशिफिकेशन
1	महाविद्यालय के पूर्व में संचालित जीव्हीके 108 ब्लाक से निकले निष्प्रयोज्य अनुपयोगी कंडम सामाग्री	टुटे फुटे फर्नीचर, स्ट्रेचर, रद्दी कागजात, लोहे के फ्रेम, पुराने टायर, पुराने बैटरी, सर्वर रूम यूपीएस, एसी यूनिट, पार्टीशन केबिन प्लाई इत्यादि

अतः उपरोक्तानुसार उक्त निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कंडम सामाग्रीयों की विक्रय हेतु **''जहाँ है/जैसा है/जिस स्थिति में है'' के शर्त** पर निरीक्षण कर अपना कोटेशन/दर मोहरबंद लिफाफे में **दिनांक 28/11/2024 शाम 5:30 बजे** कार्यालयीन समय तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त होने वाले कोटेशन/दर मान्य नहीं होंगे।

नियम एवं शर्तेः—

1. कोटेशन के साथ अमानत राशि रूपये 5000.00 का डीडी/चेक जो **"प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर"** के नाम से देय हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जो वापसी योग्य है। कोटेशन के साथ उक्त राशि का डीडी/चेक जमा नही करने की स्थिति में संबंधित फर्म का कोटेशन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. प्रथम दो सफल उम्मीदवारों की डीडी की राशि निष्प्रयोज्य सामाग्रीयो के उठाव/बिक्री तक जमा रहेगी। निष्प्रयोज्य/बिक्री पश्चात उक्त अमानत राशि वापस की जावेगी।
3. सफल उम्मीदवार द्वारा समय पर कंडम सामाग्रीयों का उठाव नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात की जावेगी।
4. कोटेशनकर्ता निष्प्रयोज्य सामाग्रीयों का **'जहाँ है/जैसा है/जिस स्थिति में है'' के शर्त** पर कोटेशन/दर प्रस्तुत करें। कागजी दस्तावेजों को टुकडे—टुकडें के रूप में निष्प्रयोजन करना होगा अथवा रिसाईकलर का शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह इन दस्तावेजों का शासन नियमानुसार निष्पादन करेगा एवं पार्टिशन केबिन को ध्वस्त/डिस्मेंटल करने के पश्चात ही उठाव किया जाना अनिवार्य होगा।
5. लिफाफे के उपर कोटेशन नंबर एवं विषय का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
6. कोटेशन कर्ता उक्त निष्प्रयोज्य सामाग्रीयों का निरीक्षण (महाविद्यालय मुख्य भवन के 108 ब्लाक पर) कोटेशन जारी होने के दिनांक से कार्यलयीन समय में कर सकते है।
7. कोटेशन कर्ता द्वारा ई—वेस्ट (बैटरी, यूपीएस, पुराने टेलीफोन इत्यादि) का निष्पादन विधिवत् तरीके से शासन नियमानुसार करेगा। इस हेतु कोटेशन के साथ शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. **कोटेशन में प्रस्तुत दर एकजाई होगे। अलग— अलग दर मान्य नहीं किये जायेंगे।**
9. किसी भी फर्म की कोई भी शर्ते मान्य नही होगी।
10. कोटेशन में सफल क्रेता को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवसों के भीतर बिक्री राशि का डीडी/चेक जो **"प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर"** के नाम से देय हो संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। तदपश्चात ही कब्जा दिया जायेगा।

D:\Ment. 2024-25\2024-25\Condem Notsheet 2024-25.doc

11. **उक्त कंडम सामाग्रीयों का उठाव 30 दिवसों के भीतर किया** जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपका डिलिवरी आदेश निरस्त कर, आपके द्वारा जमा की गई राशि नियमानुसार राजसात करते हुये उक्त कंडम सामग्रीयों का अन्य प्रकार से निराकरण किया जायेगा।

12. कोटेशनकर्ता को स्वयं के व्यय पर उक्त कंडम सामाग्रीयों को महाविद्यालय से ले जाना होगा।

13. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विक्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए समिति बाध्य नहीं होगा।

18/11/

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर